

पत्र सं०-ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०) मु०-०६ /स०प०/ एफ०एम०सी०जी०/१३-१४/ १२०६ / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, ३० प्र० ।

(वि० अनु०शा०- अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ०१ अक्टूबर, २०१३

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर ३० प्र० ।

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२ (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

वाणिज्यिक क्रिया कलापों की दृष्टि से दीपावली का पर्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा दीपावली सन्निकट है। ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के उद्देश्य से बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों पर विभिन्न प्रकार की स्कीम घोषित की जाती है तथा मोटर वेहिकल, दुपहिया वाहनों, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, किराना, मेवा, मिठाई, रेडीमेड गारमेन्ट्स, बर्तन, गिफ्ट आइटम्स व अन्य एफ०एम०सी०जी० वस्तुओं का क्रय बिक्रय वर्ष के अन्य किसी भी माह की तुलना में उक्त अवसरों पर अधिक होता है।

इसी क्रम में दीपावली के अवसर पर विभिन्न बैंको एवं डाकघरों द्वारा सोने/ चांदी के सिक्के / बुलियन की बिक्री, बड़े पैमाने पर पटाखों एवं आतिशबाजी के सामानों की बिक्री किये जाने एवं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसेज में किराना/ मेवा का भण्डारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोक व बड़े व्यापारियों / स्ट्राकिस्टों द्वारा अपने आपूर्ति केन्द्रों / गोदामों पर भी उक्त बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह भी कर लिया जाता है। अतः ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के दृष्टिगत करापवंचन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने हेतु विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इसके साथ ही फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफ०एम०सी०जी०) का व्यापार करने वाली फर्मों की प्राथमिकता से जांच कराया जाना भी आवश्यक है।

अतः कृपया अपने जोन्स में बैंको/ डाकघरों द्वारा सोने की बिक्री किये जाने, पार्सल के माध्यम से सोना/ बुलियन मंगाये जाने की सूचना संकलित करते हुए एक अभियान के रूप में उनकी जांच तथा ड्राईफ्रूट्स, मिष्ठान, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक गुड्स, गिफ्ट आइटम्स, रेडीमेड गारमेन्ट्स, बर्तन, पटाखों एवं आतिशबाजी के थोक व्यापारियों की जांच एवं कोल्ड स्टोरेज/ वेयरहाउसेज के सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर उनकी प्रभावी जांच कराया जाना सुनिश्चित करें। जांच कार्य में जोन में कार्यरत प्रवर्तन एवं करनिर्धारण कार्य में तैनात समस्त अधिकारियों का अधिकाधिक उपयोग करते हुए करापवंचन रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सचल दल इकाईयों को भी सतर्क करते हुए अधिक से अधिक संख्या में वाहनों की जांच एवं बिल का संग्रहण सुनिश्चित कराये। इसके अतिरिक्त अभिसूचना संकलन करके व्यापक एवं ठोस सूचनाओं के आधार पर थोक एवं बड़े ट्रांसपोटर्स, व्यापारियों तथा स्ट्राकिस्टों के गोदामों तथा आपूर्ति केन्द्रों की गहनतापूर्वक जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त जांच कार्य दिनांक ०५-१०-२०१३ से दिनांक ३१-१०-२०१३ के मध्य अभियान के रूप में चलाया जायेगा तथा वि०अनु०शा० इकाईयों द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय के वि०अनु०शा० अनुभाग में तथा सचलदल इकाईयों द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय के सचलदल अनुभाग में साप्ताहिक रूप से सोमवार से शनिवार तक किये गये कार्यों से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को मुख्यालय आने वाले पत्रवाहक के माध्यम से अलग-अलग संलग्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

Mu
३१.१०.१३
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय पत्र संख्या - 1206 दिनांक 01.10.2013

दीपावली अभियान दिनांक 05-10-2013 से दिनांक 31-10-2013 तक किये गये कार्य की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट (प्रत्येक सोमवार को)

वि०अनुशा० अनुभाग मुख्यालय से संबंधित

वि०अनुशा० इकाईयों द्वारा कोल्ड स्टोरेज/वेयर हाउस की जांच से संबंधित

जोन का नाम.....

दिनांक..... तक

क्र०सं०	कोल्ड स्टोरेज/वेयर हाउस का नाम जिनकी जांच की गयी	जांच पर पायी गयी काराणवचित वस्तुओं का नाम	प्रथम दृष्टया जांच पर पाया गया अनुमानित अपवचित टर्नओवर (लाख रुपये में)	कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5

व्यापारियों की जांच से संबंधित

क्र०सं०	व्यापारी का नाम जिसके व्यापार स्थल की जांच की गयी	सर्वे/सीजर का दिनांक	वस्तुओं का नाम	पाया गया अनुमानित अपवचित टर्न ओवर (लाख रुपये में)	कृत कार्यवाही
1	2	3	4	5	6


20.9.13

मुख्यालय पत्र संख्या- 1206 दिनांक 01.10.2013
 दीपावली अभियान दिनांक 05-10-2013 से दिनांक 31-10-2013 तक किये गये कार्य की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट (प्रत्येक सोमवार को) सचल दल-अनुभाग मुख्यालय से संबंधित

सचल दल इकाईयों द्वारा की गयी जांच से संबंधित							
जोन का नाम.....				दिनांक-----			
क्र0सं0	जांच किये गये वाहनों की संख्या	वस्तुओं का नाम	दोषी पाये गये वाहनों की संख्या	अभिप्रेक्षित माल का मूल्य (लाख रुपये में)	जमा करायी गयी जमानत की धनराशि (लाख रुपये में)	संग्रहित किये गये बिलों की संख्या	संग्रहित बिलों में निहित धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8

30.9.13